न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –25/2017, 26/2017, 63/2017 एवं 62/2017 जिला दौसा ।

1. श्रवण पुत्र जैसा
2. पुनी राम पुत्र जैसा
3. सोनी पुत्री जैसा
   निवासी श्यामपुरा कलां, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. घनश्याम पुत्र गोतम मीणा, निवासी श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. ग्रम पंचायत श्यामपुरा कलां, तहसील लालसोट, जिला दौसा जरिये सरपंच
3. उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 12.6.2017
बाबत नामांतरकरण संख्या 256 दिनांक 5.12.2016

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील संख्या 26/2017 जिला दौसा

1. श्रवण पुत्र जैसा
2. पुनी राम पुत्र जैसा
3. सोनी पुत्री जैसा
   निवासी श्यामपुरा कलां, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. घनश्याम पुत्र गोतम मीणा, निवासी श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. ग्रम पंचायत श्यामपुरा कलां, तहसील लालसोट, जिला दौसा जरिये सरपंच
3. उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 12.6.2017
बाबत नामांतरकरण संख्या 290 दिनांक 20.12.2016

अपील संख्या 63/2017 जिला दौसा

1. श्रवण पुत्र जैसा
2. पुनी राम पुत्र जैसा
3. सोनी पुत्री जैसा
   निवासी श्यामपुरा कलां, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. घनश्याम पुत्र गोतम मीणा, निवासी श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. ग्रम पंचायत श्यामपुरा कलां, तहसील लालसोट, जिला दौसा जरिये सरपंच

3. तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा दिनांक 7.11.2017 बाबत नामांतरकरण संख्या 256 दिनांक 5.12.2016

अपील संख्या 62/2017 जिला दौसा

1. श्रवण पुत्र जैसा
2. पुनी राम पुत्र जैसा
3. सोनी पुत्री जैसा
   निवासी श्यामपुरा कलां, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. घनश्याम पुत्र गोतम मीणा, निवासी श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. ग्रम पंचायत श्यामपुरा कलां, तहसील लालसोट, जिला दौसा जरिये सरपंच
3. तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा दिनांक 7.11.2017 बाबत नामांतरकरण संख्या 290 दिनांक 20.12.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री जयसिंह राजावत
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सत्यनारायण शर्मा

निर्णय

दिनांक 20.3.2018

यह चारों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 एवं 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.6.2017 एवं तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 7.11.2017 बाबत नामांतरकरण संख्या 256 दिनांक 5.12.2016 एवं 290 दिनांक 20.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है । चारों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन चारों अपीलो का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति चारों पत्रावलियों में रखी जावे । चारों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम रायमलपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 26,34,38,41,54,86 कुल किता 6 कुल रकबा 10–12 में हिस्सा 1/4 एवं ग्रम भारमलकाबास, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 102 रकबा 7–16 में हिस्सा 1/6 का खातेदार गंगू पि. जैसा था जिसके दिनांक 23.9.16 को नाऔलाद फौत होने पर विरासत के नामांतरकरण संख्या क्रमशः 256 दिनांक 5.12.16 ग्रम रायमल पुरा एवं 290 दिनांक 20.12.16 ग्रम भारमलकाबास ग्रम पंचायत श्यामपुरा कलां द्वारा मृतक खातेदार गंगू के भाई एवं बहिन श्रवण , पूनीराम, गोतम पि. जैसा ,

सोनी पुत्री जैसा के नाम तस्दीक किये गये । उक्त दोनों नामांतरकरणों से व्यथित होकर घनश्याम पुत्र गोतम मीना द्वारा पृथक पृथक दो अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष दिनांक 27.12.2016 को प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2017 द्वारा मृतक गंगू का उत्तराधिकार विवादास्पद मानते हुये उसकी जॉच राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के अन्तर्गत तहसीलदार लालसोट के द्वारा किया जाना अपेक्षित होने से प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 256 एवं 290 को निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया गया कि वे अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 5 को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के अन्तर्ग समुचित जॉच कर तथा पुनः विधिसम्मत नामांतरकरण निर्णित करें ।

उप खण्ड अधिकारी लालसोट , जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.6.2017 द्वारा दोनों प्रकरण तहसीलदार लालसोट , जिला दौसा को रिमाण्ड होने पर उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार लालसोट ने उपरोक्त दोनों नामांतरकरणों के संबंध में पृथक पृथक अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.11.2017 को पारित कर मृतक गंगू पुत्र जैसा मीना द्वारा दिनांक 22.9.2016 को 500 रू. के स्टाम्प पर एक वसियत श्री घनश्याम पुत्र गौतम मीना के नाम लिखी जाने से गंगू पुत्र जैसा मीना का वारिस घनश्याम पुत्र गौतम मीना को निर्णित किया जाकर पटवारी हल्का को तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने के आदेश दिये गये ।

उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.6.2017 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दो अपीलें क्रमशः अपील संख्या 25/2017 एवं अपील 26/2017 पर दर्ज की गई एवं तहसीलदार लालसोट , जिला दौसा के निर्णय दिनांक 7.11.2017 के खिलाफ प्रस्तुत दो अपीलें क्रमशः अपील संख्या 63/2017 एवं अपील 62/2017 पर दर्ज की गई । अपीलान्ट्स द्वारा चारों अपीले स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट दिनांक 12.6.2017 एवं तहसीलदार लालसोट के निर्णय दिनांक 7.11.2017 निरस्त किये जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 256 दिनांक 5.12.16 एवं 290 दिनांक 20.12.16 बहाल रखे जाने की प्रार्थना की ।

चारों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार मृतक गंगू पुत्र जैसा था जिसके नाऔलाद फौत होने पर विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक के भाई एवं बहिन यथा– सरवण, पुनीराम, गोतम पि. जैसा व सोनी पुत्री जैसा के नाम ग्रम पंचायत द्वार बाद जॉच तस्दीक किये गये थे । मृतक खातेदार गंगू के भाई गौतम के पुत्र घनश्याम रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खातेदार गंगू द्वारा की गई अनरजिस्टर्ड वसियत के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरणों को चुनौती दी है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहॉ वसियत एवं दत्तक के संबंध में पक्षकारों में विवाद हो तो वसियत एवं दत्तक को अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने चाहिये । नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ने प्रकरण के विधिक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.17 से प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार को पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड करने में विधिक त्रुटि की है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश

दिनांक 7.11.2017 से वसियत के आधार पर गंगू पुत्र जैसा मीना का वारिस घनश्याम पुत्र गौतम मीना को मानने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स मृतक खातेदार गंगू के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिक वारिस है जिनके नाम ग्रम पंचायत द्वारा बाद जॉच प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है । वसियत के आधार पर यदि रेस्पोंडेन्ट घनश्याम के कोई अधिकार मृतक गंगू की भूमि में बनते हैं तो उन्हें सक्षम न्यायालय से अपने अधिकार तय कराने चाहिये । अतः अपीलाधीन आदेश सामान्य न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जावें एवं प्रश्नगत नामांतरकरण बहाल रखे जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2006 (1) आर.आर.टी. 177, 2010 (5) एस.सी.सी. 274 एवं ए.आई. आर. 2004 एस.सी..436, हिन्दू उत्ताधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 एच., 63 एवं 264 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि मृतक खातेदार गंगू द्वारा एक वसियत रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 घनश्याम के नाम लिख कर दिनांक 22.9.16 को नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवादी थी । घनश्याम मृतक खातेदार गंगू के भाई गौतम का लडका है जिसने ही गंगू का बीमारी में ईलाज व सेवा सुश्रुषा की थी तथा घनश्याम का विवाह भी गंगू ने ही किया था । घनश्याम की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर ही गंगू ने घनश्याम के नाम अंतिम इच्छा पत्र दिनांक 22.9.16 को 500 रूपये के स्टाम्प पर तहरीर किया था जिसमें रामसहाय, टीकाराम , मूलचंद एवं गोपीराम साक्षी है । इस इच्छा पत्र के पहले व बाद में गंगू द्वारा कोई वसियत या इच्छा पत्र तहरीर नहीं किया था । ऐसी स्थिति यह अंतिम इच्छा पत्र है जिसके मुताबिक ही रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मृतक की चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी है । उनका कहना था कि वसियत का रजिस्टर्ड होना कानूनन आवश्यक नहीं है । वसियात सादा कागज पर लिखी होने का भी रजिस्टर्ड वसियत के बराबर का ही महत्व है । अधीनस्थ न्यायालय उप खड अधिकारी ने वसियत के दृष्टिगत ही अपीलाधीन आदेश से प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर पुनः निर्णय करने हेतु निर्देशित किया था एवं तहसीलदार ने उप खण्ड अधिकारी के निर्णय की अनुपालना में ही बाद जॉच अपीलाधीन आदेश पारित कर वसियत के आधार पर गंगू पुत्र जैसा मीना का वारिस घनश्याम पुत्र गौतम मीना को निर्णित किया जाकर पटवारी हल्का को तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने के आदेश दिये गये । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया । प्रकरण में विवाद खातेदार गंगू के नाऔलाद फौत होने पर उसके उत्तराधिकार का है । ग्रम पंचायत द्वारा गंगू के नाऔलाद होने पर विरासत के नामांतरकण संख्या 256 दिनांक 5.12.16 एवं 290 दिनांक 20.12.16 सरवण, पुनीराम, गौतम पि. जैसा एवं सोनी पुत्री जैसा मृतक के भाईयों एवं बहिन के नाम तस्दीक किये गये हैं । दूसरी ओर मृतक के भाई गौतम के पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 घनश्याम उसके हक में मृतक गंगू द्वारा की गई वसियत के आधार पर गंगू की भूमि में हक चाहता है एवं उसके द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ उप खण्ड अधिकारी लालसोट को की गई अपीलों में अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.17 द्वारा मृतक गंगू का उत्तराधिकार विवादास्पद मानते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 256 एवं 290 को निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के अन्तर्ग समुचित जॉच कर पुनः विधिसम्मत

नामांतरकरण निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये हैं तथा इस आदेश की अनुपालना में तहसीलदार लालसोट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.11.2017 पारित कर वसियत के दृष्टिगत गंगू पुत्र जैसा मीना का वारिस घनश्याम पुत्र गौतम मीना को माना है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2017 से प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत समुचित जॉच कर पुनः नामांतरकरण निर्णित करने हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किये जाने पर इसकी अनुपालना में तहसीलदार लालसोट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.11.2017 द्वारा रेस्पोंडेन्ट घनश्याम पुत्र गौतम मीना के नाम मृतक गंगू पुत्र जैसा द्वारा दिनांक 22.9.2016 को 500/– रू. के स्टाम्प पर लिखि गई वसियत जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है , के आधार पर मृतक गंगू पुत्र जैसा का वारिस घनश्याम पुत्र गौतम मीना को माना है , जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । हम समझते हैं कि दत्तक एवं वसियत का तथ्य विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न है जो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि वसियत के संबंध में विवाद है तो वसियत के आधार पर अधिकार चाहने वाले व्यक्ति को अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने चाहिये । दत्तक एवं वसियत के संबधं में विभिन्न न्यायालयों ने अपने निर्णयों में यि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्राकृतिक उत्तराधिकार के अलावा अन्य किसी आधार पर कोई व्यक्ति विरासतन हक व अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो नियमित वाद के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं । नामांतरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त एवं भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिसमें प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को अपने हक व अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक गंगू के नाऔलाद फौत होने पर उसके प्राकृतिक उत्तराधिकारी भाई श्रवण, पूनीराम, गौतम पि. जैसा एवं बहिन सोनी पुत्री जैसा के नाम तस्दीक किये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2017 से मृतक गंगू के उत्तराधिकार को विवादास्पद मानते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 256 एवं 290 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 5 को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के अन्तर्ग समुचित जॉच पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रषित करने में एवं तहसीलदार लालसोट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.11.17 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये अनरजिस्टर्ड वसियत के आधार पर रेस्पोंडेन्ट घनश्याम पुत्र गौतम को मृतक गंगू पुत्र जैसा का वारिस मानने में विधिक त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में चारों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप चारों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 12.6.2017 एवं तहसीलदार लालसोट , जिला दौसा के निर्णय दिनांक 7.11.2017 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 256 दिनांक 5.12.2016 एवं नामांतरकरण संख्या 290 दिनांक 20.12.2016 बहाल किये जाते हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर